पेज क्रं. 1 का शेष – दो दशकों के अंतराल....

तीनों वरिष्ठ न्यायविदों की सर्वसम्मत 'लीगल ओपिनियन' थी कि (1) 1927 से विभिन्न जजमेंटों एवं सुप्रीम कोर्ट के बाल विद्या मंदिर जजमेंट एवं संविधान के पार्ट ।।। के अनुसार जैन समुदाय धार्मिक अल्पसंख्यक है; (2) टी.एम.ए.पाई जजमेंट केवल इतना निर्धारित करता है कि किसी भी समुदाय की अल्पसंख्यक मान्यता के लिए 'राज्य' इकाई है, चूँकि जैन समुदाय सभी राज्यों में अल्पसंख्यक है अत: कोई कानूनी अड़चन का सवाल नहीं है, (3) केन्द्रीय सरकार के नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटीज एक्ट 1992 की धारा 2 (सी) के अंतर्गत किसी समुदाय की अल्पसंख्यक अधिसूचना के अधिकार को बाल पाटिल जजमेंट में अविवादास्पद रुप में माना है अत: कोई कानूनी बाधा नहीं है; एवं (4) केन्द्र सरकार को ससंद में बिल लाने की जरुरत नहीं है क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटीज एक्ट 1992 की धारा 2 (सी) केन्द्र सरकार को किसी समुदाय को अल्पसंख्यक मानकर गजट नोटिफिकेशन करने का पूर्ण अधिकार देती है।''

अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन संस्थाएँ – समन्वय समिति ने इन 'लीगल ओपिनियनस्' के परिपेक्ष्य में सत्ता के हर गलियारे में आवाज पहुँचाई कि कानूनी अड़चन मात्र एक भ्रम है और केन्द्र सरकार जैन समुदाय के साथ जल्दी से जल्दी न्याय करे। **केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'** तो मंत्री बनने के बाद से ही निरंतर प्रयासरत थे।

28 जुलाई 2013 को पुणे में दक्षिण भारत जैन सभा एवं पुणे जैन माइनोरिटीज फोरम द्वारा सासंद कल्लप्पण्णा अवाड़े की अध्यक्षता में आयोजित 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हक्क संगोष्ठी' में केन्द्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' का कथन 'कि सरकार फाइलों की नोटिंग्स् पर चलती है अत: समय खींच रहा है, पर अपना मंत्री कार्यकाल पूरा करने से पहले जैन समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक मान्यता प्रदान करवाने का वचन देता हूँ'' चरितार्थ करा।

समग्र जैन समाज को इन दो दशकों में जैन बच्चों को केन्द्रीय सरकार की भारी भरकम प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना एवं अल्पसाधना जैन समुदाय को 'अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम' जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा स्वरोजगार, उच्च शिक्षाके लिए नाममात्र की ब्याज दर पर ऋण, निशुल्क तकनीकी शिक्षा तथा कोचिंग सुविधाएं, ग्रामीण आवास योजना में सहायता, राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती से वंचित रखने; राज्य सरकारों की अल्पसंख्यक वर्गो के लिए कल्याणकारी, छात्रवृत्ति और आर्थिक मदद योजनाओं का लाभ न मिलने और तीर्थ उपासना स्थलों गिरनार, केशरियाजी, खण्डगिरी–उदयगिरी आदि पर अतिक्रमण में अल्पसंख्यक सुरक्षा न मिलने के नुकसान का जायजा लेकर, पिछली भूलों की पुनरावृत्ति न हो का पुख्ता इन्तजाम करके, जैन समुदाय को समाज का भविष्य सुरक्षित बनाने को दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिये। यही समय की माँग है, नहीं तो हम काफी पिछड़ गये है और पिछड़ जायेंगे।

**जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने से लाभ –** ✲ जैन धर्म की सुरक्षा होगी। ✲ जैन धर्म की नैतिक शिक्षा पढ़ाई कराने का जैन स्कूलो को अधिकार। ✲ जैन कॉलेजों में जैन बच्चों के लिए 50% आरक्षित सीटें होगी। ✲ कम ब्याज पर लोन, व्यवसाय व तकनीकी शिक्षा हेतु उपलब्ध होंगे। ✲ संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के अनुसार जैन समुदाय धर्म, भाषा, संस्कृति की रक्षा संविधान के उपबंधो के अंतर्गत हो सकेगी। ✲ जैन धर्मावलम्बियों के धार्मिक स्थल, संस्थाओं, मंदिरो, तीर्थक्षेत्रों एवं ट्रस्टों का सरकारीकरण या अधिग्रहण आदि नहीं किया जा सकेगा अपितु धार्मिक स्थलों का समुचित विकास एवं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध शासन द्वारा भी किए जायेंगे। ✲ उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1919 (42 ऑफ 18.9.1991) के तहत किसी धार्मिक उपासना स्थल के स्वरुप को बनाए रखने हेतु स्पष्ट निर्देश जिसका उल्लंघन धारा 6 (3) के आधीन दंडनीय अपराध है। ✲ पुरातन स्थलों एवं पुरातन धरोहरों को सुरक्षित रखना सन् 1958 के अधिनियम की धारा 19 एवं 20 के तहत संविधान द्वारा सुरक्षित है। ✲ समुदाय द्वारा संचालित ट्रस्टों की सम्पत्ति को किराया नियंत्रण अधिनियम से भी मुक्त रखा जायेगा, जिससे किरायेदार से संपत्ति को आसानी से खाली करवाया जा सकता है। ✲ जैन धर्मावलम्बी अपनी प्राचीन संस्कृति, पुरातत्व एवं धर्मायतनों का संरक्षण कर सकेंगे। ✲ जो प्रतिभावान अल्पसंख्यक विद्यार्थी जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश पाते हैं तो उनमे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विद्यार्थियों को 9वी, 10वी, 12वीं का शिक्षण शुल्क एवं अन्य लिये जाना वाला शुल्क पूर्णत: माफ कर दिया जायेगा। ✲ जैन मंदिरों, तीर्थस्थलों, शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि के प्रबंध की जिम्मेदारी समुदाय के हाथ में ही रहेगी। ✲ शैक्षणिक एवं अन्य संस्थाओं को स्थापित करने और उनके संचालन में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जायेगा। ✲ विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कोचिंग कॉलेजों में समुदाय के विद्यार्थियों को फीस कम या माफ होने की पात्रता होगी। ✲ सरकार द्वारा जैन समुदाय को स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, शोध या प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु सभी सुविधायें एवं रियायती दर पर जमीन उपलब्ध करवायी जायेगी। ✲ जैन समुदाय के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवाओं और व्यवसायिक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु अनुदान मिल सकेगा। ✲ जैन समुदाय द्वारा संचालित जिन संस्थाओं पर कानून की आड़ में बहुसंख्यकों ने कब्जा जमा रखा है, उनसे मुक्ति मिलेगी। ✲ जैन धर्मावलम्बी को बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रताडित किये जाने की स्थिति में सरकार जैन धर्मावलम्बी की रक्षा करेगी। ✲ जैन धर्मावलम्बी द्वारा पुण्यार्थ, प्राणी–सेवार्थ, शिक्षा इत्यादि हेतु दान–धन कर से मुक्त होगा। ✲ अल्प संख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों के समुचित विकास एवं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध शासन द्वारा किए जायेंगे। ✲ अल्पसंख्यक वर्ग युवाओं में खेलकूद व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रोत्साहन हेतु अनुदान एवं छात्रवृत्तियों में विशेष प्रावधानों का लाभ मिल सकेगा, ताकि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले या आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग का शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके। ✲ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कराए गए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति के सर्वेक्षण के आधार पर रोजगार मूलक योजनाओं का लाभ मिलेगा। **साभार – डॉ. बिमलचंद जैन**

# शब्द जाल प्रतियोगिता – 3

**संकेत – बायें से दायें**

1) इन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता है।
3) महान कवि जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है।
4) एक महान उपन्यासकार मुंशी...
6) दीन दुखियों की सेवा करने वाली करुणामयी माँ
8) क्रिकेट के भगवान जिन्हें भारत रत्न मिला है।

**ऊपर से नीचे –**

1) ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे
2) युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी
5) एक जैन सती जिसने बेड़ियों में भगवान महावीर को आहार दिया था।
6) ये हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं।
7) एक प्रख्यात टेनिस महिला खिलाड़ी का नाम

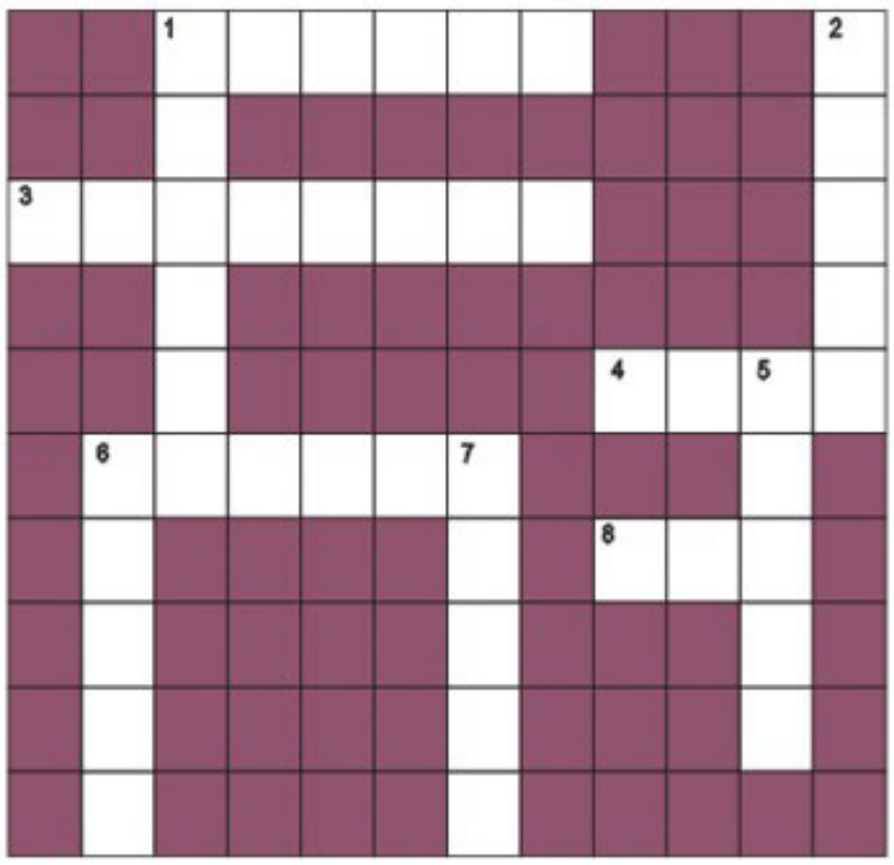

प्रस्तुत वर्ग पहेली में हमारे देश के कुछ महान व्यक्तित्वों के नाम उनके लिये दिये गये संकेतों के द्वारा आपको ढूँढ़कर लिखना है और निम्नलिखित पते पर भेजें – **'गोलालारीय दर्शन'** 64, न्यू देवास रोड, इन्दौर। प्राप्त सही प्रविष्टियों का ड्रा निकालकर प्रथम 5 विजेताओं को पुरस्कृत किया जावेगा, आगामी अंक में उनके फोटो भी प्रकाशित किये जायेंगे।

**नियम –** प्रतियोगिता 8 वर्ष से 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही है। प्रविष्टि भेजने की **अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2014** सही जवाब के साथ वर्ष 2013 की अंकसूची की फोटोकॉपी (जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो) पर अभिभावक का नाम, टेलीफोन नंबर एवं प्रत्याशी का नवीन फोटो अवश्य भेजें। संपादक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

## शब्दजाल प्रतियोगिता – 02 का सही हल भेजने वाले विजेताओं के नाम

कु. अवनि जैन, पन्ना।

कु. अनीषा जैन लश्कर

मा. आदित्य जैन भोपाल

कु. अनमोल जैन तालबेहट

मा. प्रासुक जैन इन्दौर

प्रतियोगिता क्रमांक 1 एवं 2 के पुरस्कार भेजे जा चुके है पुरस्कार प्राप्त न होने की सूचना पर 9424013136 पर अवश्य देवें।

शब्द जाल प्रतियोगिता क्रमांक 1 में निम्न प्रतियोगियों ने सही उत्तर भेजे थे – 1) कु. अनमोल जैन तालबेहट 2) कु. अनु जैन, झांसी 3) राहुल जैन, विदिशा 4) सुब्रत जैन, झांसी

शब्द जाल प्रतियोगिता क्रमांक 2 में निम्न प्रतियोगियों ने सही उत्तर भेजे है – 1) कु. अनुष्का जैन, खरगोन 2) ओजस जैन, इन्दौर 3) यशश जैन, लश्कर 4) रीथ जैन, इन्दौर